निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 65/2023
दायरा दिनांकः–20.10.2023
निर्णय दिनांकः–27.8.24

उनवान

1 सत्यानारायण आयु 60 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मदनलाल आयु 75 वर्ष पुत्र दोला जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां राज0
2. रामलखन आयु 40 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां राज0
3. तेजजराम आयु 32 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां छबडा जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 27.8.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी की भूमि ग्राम ककरवां में भूमि खाता संख्या 43/43 की खसरा नम्बर 105/1 रकबा 1.7073 है भूमि स्थित है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 का पिता है। अप्रार्थी क्रम 1 अतिवृद्ध होने के कारण अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने जीवनकाल में आज से 15 वर्ष पूर्व उक्त विवादित भूमि का बराबर–बराबर बटंवारा 1/3 में कर दिया था तब से प्रार्थी निरंतर निर्बाध रूप से उक्त विवादित भूमि में 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। उक्त विवादित भूमि पैत्रक सम्पत्ति है। जो अप्रार्थी क्रम 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी ने इस वर्ष अपने हिस्से 1/3 में मक्का की फसल बोई थी किन्तु अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की नियम में बेईमानी होने से अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने प्रार्थी के हिस्से की मक्का की फसल को काट लिया जब प्रार्थी मजदुरी करके वापिस अपने गांव गया खेत पर गया तो पता चला कि प्रार्थी के हिस्से की भूमि मे से अप्रार्थी [illegible] 3 ने फसल को काट लिया। जब प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 2 व 3 से [illegible] झगडा करने पर आमादा हो गया। जिसकी थाने मे रिपोर्ट भी [illegible] दर्ज कराई [illegible] अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी के पिता मदनलाल ने भी हिस्सा की फसल [illegible] मना कर दिया [illegible] ने पीटने व लडाई–झगडा किया तथा अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने धमकी दी कि यदि दोबारा [illegible] स जमीन पर आया तो हाथ पैर तोड देगें व अंतिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 07.10.2023 को उत्पन्न हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 18.6.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवां सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 43 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम ककरवां तहसील छबडा में स्थित हैं अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पिता है अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने जीवन काल में लगभग 15 वर्ष पूर्व उक्त विवादित आराजी का 1/3 1/3 हिस्सा पृथक पृथक बटवारा कर दिया था। तभी से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है विवादित आराजी पैत्रक सम्पति है जो अप्रार्थी क्रम 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है प्रार्थी गांव से बाहर मजदुरी करने चला गया। मजदुरी करके गांव आया तो प्रार्थी की फसल अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने काट ली अप्रार्थी क्रम 1 ने भी फसल देने से इन्कार कर दिया तथा भूमि पी कब्जा कर लिया यादि प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि नही मिली तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवां सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 43 के अनुसार मदनलाल पुत्र दोला जाति मीण का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी की आराजी है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा विवादित आराजी का बेचान कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। पैत्रक आराजी में प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी आराजी वाके ग्राम ककरवां तहसील छबडा के खसरा नम्बर 105/1 रकबा 1.7073 है0 पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:07 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बांरा)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा